1	विभाग	समाज कल्याण विभाग।
2	योजना का नाम	**राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष) जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, की मुत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को रू0 30,000–00 (रू0 तीस हजार मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता दिनाँक 03 सितम्बर, 2013 से दिये जाने का प्राविधान है।
4	पात्रता की अर्हता	**(a)** आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 54,460–00 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080–00 प्रति वर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर यह सुविधा अनुमन्य की जाती है। ''कमाऊ मुखिया'' परिवार का सदस्य वह पुरूष अथवा महिला होगी, जिसकी आय का योगदान कुल पारिवारिक आय में पर्याप्त हो। उक्त आय सीमा तद्‌विषयक शासनादेश संख्या–22/ 2015/2123/26–2–2015, दिनाँक 14 सितम्बर , 2015 के निर्गत होने की तिथि से मृत्यु के मामलों में प्रभावी होगी अर्थात् उक्त तिथि के पूर्व की मृत्यु के मामले में संशोधित आय–सीमा लागू नहीं होगी। (b) ''परिवार'' शब्द से अभिप्राय पति–पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता–पिता हैं।
5	आवेदन की प्रक्रिया	(a) इस योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट–swd.up.nic.in पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6	लिंक वेबसाईट	http://swd.up.nic.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।